



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032020-218651  
CG-DL-E-13032020-218651

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 981]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फाल्गुन 23, 1941

No. 981]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

**का.आ. 1088(अ).**—केंद्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों पर यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबंध भारतीय स्टेट बैंक को, जहां तक उनका संबंध यस बैंक लिमिटेड में, उसके द्वारा, उस बैंक की समादत्त शेयर पूंजी के तीस प्रतिशत से अधिक रकम के शेयरों को धारण करने से है, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे।

[फा. सं 7/19/2020-बीओए-1]

अमित अग्रवाल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Financial Services)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th March, 2020

**S.O. 1088(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to the State Bank of India for a period of four years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in so far as it relates to the holding of shares in the Yes Bank Limited by it, of an amount exceeding thirty per cent. of the paid-up share capital of that Bank.

[F. No. 7/19/2020-BOA-1]

AMIT AGRAWAL, Jt. Secy.